

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या-575/V-2/2018-05(आ0)/2017 टी0सी0-3
देहरादून: दिनांक 27 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-1804/V-2/2017-05(आ0)/2017 टी0सी0-3 दिनांक 03-11-2017 के द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ में कुमायू मण्डल के मण्डलायुक्त को अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को उपाध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पिथौरागढ़ को सचिव के रूप में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। सम्प्रति अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ का पद रिक्त होने के कारण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ में कार्यों के सुचारु संचालन के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पिथौरागढ़ की नियमित नियुक्ति होने तक के लिए, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन हेतु श्री राज्यपाल, उप जिलाधिकारी, (सदर) पिथौरागढ़ को अधिकृत करते हैं।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या-575/V-2/2018-05(आ0)/2017 टी0सी0-3 तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 500 प्रतियां मुद्रित कराते हुए प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या-575/V-2/2018-05(आ0)/2017 टी0सी0-3 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मण्डलायुक्त, कुमायू/अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़।
- 5- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

211
2/05/18